न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 19/2014

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 खेमचन्द पुत्र श्री कुरड़ाराम उम्र 45 वर्ष।
2 मनीराम पुत्र श्री कुरड़ाराम उम्र 40 वर्ष समस्त जाति माली निवासी ढ़ाणी चाचावाली पटवार हल्का रामकुमार पुरा पंचायत पपुरना तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राजस्थान।

सत्यमेव जयते

अपीलांट

बनाम

1 मोहनलाल पुत्र माधोराम।
2 मृतक रामेश्वर प्रसाद पुत्र माधोराम जाति ब्राहम्ण निवासी ढ़ाणी चाचावली पटवार हल्का रामकुमारपुरा ग्राम पंचायत पपूरना तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
2/1 अनुशर्मा उम्र 25 वर्ष पुत्री रामेश्वर प्रसाद।
2/2 सरोज उम्र 32 वर्ष पुत्री रामेश्वर प्रसाद।
2/3 मोटादेवी उम्र 30 वर्ष पुत्री रामेश्वर प्रसाद।
2/4 सीमा उम्र 27 वर्ष पुत्री रामेश्वर प्रसाद।
2/5 चिड़िया उम्र 23 वर्ष पुत्री रामेश्वर प्रसाद
2/6 आचुकी उम्र 20 वर्ष पुत्री रामेश्वर प्रसाद।

Web Copy - Not Official

Lams
एवं
अधिकारी

2/7 रेखा उम्र 18 वर्ष पुत्री रामेश्वर प्रसाद समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ढ़ाणी चाचावाली पटवार हल्का रामकुमारपुरा ग्राम पंचायत पपूरना तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
3 सीताराम उम्र 50 वर्ष पुत्र माधोराम।
4 विधाधर उम्र 47 वर्ष पुत्र माधोराम जाति ब्राहम्ण निवासी ढ़ाणी चाचावली पटवार हल्का रामकुमारपुरा ग्राम पपूरना तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व डिकी दिनांक 18.07.2011
द्वारा उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी उनवानी मुकदमा
मेहनलाल बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार
दावा बाबत घोषणात्मक स्थाई निषेधाज्ञा एंव
दुरूस्ती नक्शा ट्रेस मु0 नं0 227/2004

उपस्थित

1. श्री उम्मेदराज सैनी अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शीशराम सैनी अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
संभागीय राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूँ)

–निर्णय–

दिनांकः–28.09.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी द्वारा मुकदमा नम्बर 227/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.2011 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 ने रेस्पोडेंट संख्या 5 के खिलाफ दावा घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती नक्शा बाबत भूमि खसरा नम्बर 2801,2800, 2799, 4070/2799, 4131/2800,2776 पेश किया। विचारण न्यायालय ने वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलांटस की और से यह अपील धारा 5 व धारा 96 सी.पी.सी. के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया कि अपीलांट प्रभावित पक्षकार है उसे पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। विचारण न्यायालय के निर्णय से अपीलांट का रकबा 0.010 हैक्टेयर कम हो रहा है अत धारा 96 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमती दी जाये विचारण न्यायालय में अपीलांट को सुना नही गया प्राकृतिक सिद्वान्त की पालना नही हुई है। अपीलांट वादी का पडोसी है यह वाद में स्वीकार किया गया है। विचारण न्यायालय को नये व पुराने रिकार्ड का तुलनात्मक मिलान कर अध्ययन करना था मिलान क्षेत्रफल नक्शा सीट पेश करनी चाहिए थी। पटवारी न तो मौके पर गया है केवल कार्यालय में बैठकर रिपोर्ट बना दी है खसरा नम्बर 2800 मेरी खातेदारी की है जानकारी से

Law
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अन्दर मियाद अपील पेश कर दी है। धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जावे अपील स्वीकार की जाये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में रिकार्ड दुरूस्ती का प्रकरण था राजकीय भूमि मानकर हमे नोटिस दिया है दीपाराम हमारा दादा था अपीलांट को कोई लोकस स्टेण्डई नही है पटवारी रिपोर्ट हुई है जिसकी इनको जानकारी थी इनकी जमीन हमने नही दी है इनके तर्को में कोई बल नही है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने खसरा नम्बर 4070/2799,4131/2800 की तरमीम मौका रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर करने के आदेश विचाराधीन आदेश से दिये है इसके अतिरिक्त अन्य कोई आदेश विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में नही दिये है अपीलांट उक्त दोनों खसरा नम्बर 4070/2799 एवं 4131/2800 का न तो खातेदार है न ही काबिज काश्त है, न ही इनके सन्दर्भ में अपील में अपीलांट ने कोई अनुतोष चाहा है केवल मात्र इन खसरा नम्बरों के पडोस में स्थित होने मात्र से प्रकरण में अपीलांट को प्रभावित पक्षकार नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट विचाराधीन आदेश से किस प्रकार प्रभावित है यह स्पष्ट नही कर पाया है ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना विधि सम्मत नही है अपितु विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विधि सम्मत पाया जाता है फलस्वरूप धारा 96, धारा 5 एवं मूल अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/9/18

(क[illegible] सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर